दिनाक 23.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–23/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद आगरा/थाना एत्माद्दौला</u>

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट के 02 लाख रूपये नगद,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.10.2020 को थाना एत्माद्दौला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अस्सी फुटा चौराहा के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी ,पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में अभियुक्त हसन अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 02 लाख रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुये। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। थाना एत्माद्दौला अन्तर्गत शराब ठेके कैश कलेक्शन एजेन्ट के साथ हुई लूट/हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0–890/2020 धारा 302/392 भादवि से सम्बन्धित लूटी गई धनराशि गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई है।

इस संबंध में थाना एत्माद्दौला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

हसन अली निवासी सी सीतानगर थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

बरामदगी

1—लूट के 02 लाख रूपये नगद

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **01अवैध तमंचा 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22/23.10.2020 की रात्रि थाना गुलावठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान रजवाहे के किनारे बम्बे के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी अरमान घायल हो गया, जिसे अन्य अपराधी अब्बू तलहा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अरमान शातिर किस्म का टॉप टेन अपराधी है,जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़ के विभिन्न थानों में लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त अरमान थाना गुलावठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—345/2020 धारा 307/414 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित था ।

इस संबंध में थाना कोतवाली गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरमान निवासी मोहल्ला पीर खॉ कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर,

2— अब्बू तलहा निवासी हृदयपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1— 01अवैध तमंचा , 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि ।

जनपद सन्तकबीर नगर/थाना धर्मसिंहवा

- **टावरों से चोरी करने वाले 08 अपराधी गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत की 60 चोरी की बैंट्रिया**
- **01 पिकअप महेन्द्रा वाहन, 03 अवैध तमंचा, मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22.10.2020 की सायं थाना धर्मसिंहवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सेवहा बाबू चौराहे के पास से टावरो से 08 अभियुक्तों 1—नुरूद्दीन, 2—सतीश, 3—शराफत हुसैन, 4—सुलेमान उर्फ सोनू, 5—सन्तोष कुमार, 6—सुरेन्द्र, 7— जय, 8—संदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 06 लाख रूपये कीमत 60 बैटरियां, 01 पिकअप महेन्द्रा वाहन, 03 अवैध तमंचा, मय कारतूस आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना धर्मसिंहवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नुरूद्दीन नि0 बहुआर खुर्द थाना निचलौल महराजगंज।
2—सतीश नि0 बेलहरकला थाना बेलहरकला संतकबीरनगर।
3—शराफत हुसैन नि0 लोहरौली थाना दुधारा संतकबीरनगर।
4—सुलेमान उर्फ सोनू नि0 महदेवा थाना मेंहदावल संतकबीरनगर।
5—सन्तोष कुमार नि0 बेलहरकला थाना बेलहरकला संतकबीरनगर।
6—सुरेन्द्र नि0 बेलहरकला थाना बेलहरकला संतकबीरनगर।
7—जय नि0 खर्रा थाना धनघटा संतकबीरनगर।
8—संदीप नि0 नन्दौर बखिरा संतकबीरनगर।

बरामदगी

1—चोरी के 06 लाख रूपये कीमत 60 बैटरियां।
2—01 पिकअप महेन्द्रा वाहन।
3—03 अवैध तमंचा, मय कारतूस आदि।

जनपद देवरिया/थाना रामपुर कारखाना व थाना लार

- **25 हजार रूपये एवं 15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 22.10.2020 को थाना रामपुर कारखाना व थाना लार पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर देवरिया के विभिन्न स्थानों से 25 हजार का पुरस्कार घोषित

अपराधी बैजनाथ एवं 15 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी शनि को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त बैजनाथ थाना रामपुर कारखाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 597/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शनि थाना लार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना रामपुर कारखाना व थाना लार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—बैजनाथ नि0 तमकुही रोड पुरानी बाजार वार्ड नं0 4 थाना सेवरही कुशीनगर।
2—शनि नि0 चुरिया थाना लार जनपद देवरिया।

<u>जनपद बागपत/थाना छपरौली</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 खोखा व 01 जीवित कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 23.10.2020 को थाना छपरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम जागौस तिराहे के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गौरव घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 खोखा व 01 जीवित कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद शामली, बागपत के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना छपरौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 316/2020 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—गौरव नि0 ग्राम रठौडा थाना छपरौली बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 खोखा व 01 जीवित कारतूस व 01 मोटरसाइकिल

<u>जनपद कुशीनगर/थाना सेवरही</u>

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 23.10.2020 को थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सेवरही क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेवरही पर पंजीकृत चोरी के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सेवरही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रवि नि0 जगिरहा थाना ठकरहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार।

<u>जनपद शामली/थाना बाबरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 15 वर्ष का कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना बाबरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—203/2016 धारा 376(2) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त शहंशाह को 15 वर्ष के कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद बागपत/थाना सिंघावली</u> <u>(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 17 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0–1 जनपद बागपत द्वारा थाना सिंघावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–284/2015 धारा 452/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त हलन को 10 वर्ष के कारावास एवं 17 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

––––––